न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवडा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **71/2019** अपील (राजस्व)

1. श्री अमरसिंह पिता श्री माधुसिंह निवासी– जोरडी खेड़ा तहसील–वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री विरेन्द्रसिंह पिता श्री नवलसिंह निवासी– जोरडी खेड़ा तहसील–वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री लोकेन्द्रसिंह पिता श्री नवलसिंह निवासी– जोरडी खेड़ा तहसील–वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमति कृष्णा कुँवर पत्नि स्व. श्री नवलसिंह निवासी– जोरडी खेड़ा तहसील–वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री रामसिंह (नाम दुरस्ती से पूर्व नाम गमेरसिंह) पिता श्री माधुसिंहजी निवासी– जोरडी खेड़ा तहसील–वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री गोविन्दसिंह पिता श्री माधोसिंह निवासी– जोरडी खेड़ा तहसील–वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध तहसीलदार वल्लभनगर अन्तर्गत प्रकरण संख्या भू.अ./स.वि./2013/06 भू.अ./स.वि./2013/07, भू.अ./स.वि./2013/08 दिनांक 30.01.2013</u>

उपस्थित : 1. श्री भूरालाल डांगी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–15.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि समस्त ग्राम जोरजी का खेड़ा पटवार हल्का करणपुर तहसील वल्लभनगर के खातात संख्या 10 आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 315/1, 414/156, 415/122, 418/315 किता 4 रक्बा 1 बीघा 9 बिस्वा, खाता संख्या 57 आराजी नम्बर 189, 190, 191, 202, 215, 218, 232, 243, 244, 255, 256, 262, 277, 283, 300, 316, 317, 318, 319 किता 19 रक्बा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 103 आराजी नम्बर 421/156, 422/188, 423/201 किता 3 रक्बा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि के आराजीयात में अमरसिंह नवलसिंह, श्री रामसिंह (नाम दुरस्ती से पूर्व नाम गमेरसिंह) व गोविन्द सिंह का बराबर हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य तथा प्रत्येक का उक्त वर्णित आराजीयात में 1/4 हिस्सा है। नवलसिंह का निधन हो चुका है तथा उनके वारिसान विरेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिहं व श्रीमती कृष्णा कुंवर है। प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 के तहत पटवारी हल्का द्वारा हम अपीलार्थी को कहा गया कि आपके भूमि का विभाजन करवाना हो तो करवा लो जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा आपसी रजामंदी से विभाजन हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार सहमत थे। मौके पर पटवारी साहब को भूमि बताई गई, कुएं पर आने–जाने के रास्ते एवं रास्ते हेतु भूमि के अलग नम्बर बनाकर निर्विवादित रूप से विभाजन करने हेतु कहा गया। उसी अनुसार विभाजन करने बाबत पटवारी हल्का को निवेदन किया गया। पटवारी साहब के आश्वासन पर आपसी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर विभाजन हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष दिनांक 30.01.2013 को प्रस्तुत किया गया। विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। अपीलार्थीगण ज्यादा पढ़े–लिखे नहीं होने से निश्चित है कि मौके पर विभाजन सही ही हुआ होगा। दिनांक 08.07.2019 को पटवारी हल्का को कुएं पर जाने हेतु रास्ते की नपती हेतु बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि रास्ते का अलग से कोई नम्बर नहीं है जिस पर सहमति विभाजन की नकल प्राप्त कर देखने पर जानकारी हुई कि अमरसिंह पिता श्री माधुसिंह की आराजी संख्या 316, 317, 318 की जमीन का हिस्सा नहीं है। तथा कुएं पर आने–जाने का रास्ता अलग से नहीं हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

कुएं का अलग से नम्बर कायम नहीं किया है। रामसिंह के आराजी संख्या 300 की जमीन पुरी नहीं है तथा आराजी संख्या 243, 244 का हिस्सा ही नहीं डाला, तथा कुएं का अलग से रास्ता नहीं है ना ही अलग से उसका नम्बर है। गोविन्दसिंह पिता माधुसिंह जी की आराजी संख्या 283 का पुरा रकबा गोविन्दसिंह के हिस्से में रखना था जो सभी के हक में रख दिया गया जिससे हकत्याग करना पड़ा। आराजी संख्या 300 मी. जो कि आने–जाने का रास्ता है उसे गोविन्दसिंह के हिस्से में रख दिया एवं आराजी संख्या 232, 243, 244 में हिस्सा नहीं रखा गया हैं। आराजी संख्या 315, 418 में अमरसिंह के पुरा हिस्सा 1/4 नहीं हैं। नक्शे में भी तरमीम नहीं है। इस प्रकार हुए विभाजन में विवाद रह गया है। जिसकी दुरस्ती करवाये जाने की आवश्कता है। सभी पक्षकार जिसके लिए सहमत है। यदि विभाजन में संशोधन नहीं होता है तो पक्षकारों के मध्य आये दिन विवाद उत्पन्न होंगे तथा अपनी भूमि को स्वतंत्र रूप से उपयोग–उपभोग करने में भविष्य में बाधा उत्पन्न होगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर सहमति विभाजन दिनांक 30.01.2013 में आपसी सहमति में कॉलम संख्या 4 में वर्णित त्रुटियों को दुरूस्त करा संशोधन किया जाना फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोन्डेंट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। अपीलाण्टगण द्वारा अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपसी सहमति विभाजन में हुई विसंगतियों का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 08.11.2019 को पटवारी हल्का द्वारा कुएं पर जाने के रास्ते की नपती हेतु बुलाने पर उनके द्वारा अलग से नम्बर नहीं होने बताया गया। इसके पूर्व विसंगतियों का ज्ञान नहीं था जिस कारण से अपील प्रस्तुत करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

देरी हुई है। देरी को क्षम्य फरमाया जाये। तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्धवान अधिवक्ता रेस्पोन्डेंट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्टगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम जोरजी का खेडा पटवार हल्का करणपुर तहसील वल्लभनगर में स्थित होकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी से दर्ज होकर अमरसिंह, नवलसिंह, रामसिंह व गोविन्दसिंह का बराबर हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य होकर प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज है। नवलसिंह जी का निधन हो चुका है उनके वारिसान विरेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह व श्रीमति कृष्णा कुंवर है। प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 के तहत केम्प पंचायत मुख्यालय ढ़ावा करणपुर पर पटवारी साहब द्वारा कहा गया कि आपकी भूमि का भी बंटवारा करवाना हो तो केम्प में करवा लो। हमारे द्वारा पटवारी साहब को कहा गया कि मौके पर काबिज अनुसार विभाजन करने हेतु सहमत है। पटवारी साहब द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की देखरेख में रिकार्ड व मौके पर काबिज अनुसार व आने–जाने के रास्ते कायम कर विभाजन हेतु पटवारी हल्का को मौके पर ले जाकर भूमि पर मौका बताया गया। मौके पर काबिज अनुसार आने–जाने के रास्ते व कुएं पर आने–जाने के रास्ते की भूमि के अलग–अलग नम्बर बनाकर निर्विवाद रूप से विभाजन करने हेतु कहा गया और उसी अनुसार विभाजन करने बाबत् पटवारी साहब को निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण ज्यादा पढे–लिखे नहीं है। कानून को ज्यादा जानते नहीं है। पटवारी साहब द्वारा किये गये विभाजन के आधार पर राजस्व अभिलेख में भी खाते अलग–अलग कायम हो गये। परन्तु दिनांक 08.07.2019 को कुएं पर आने–जाने के रास्ते की नपती हेतु मौके पटवारी साहब पर बुलाया तो उनके द्वारा बताया गया कि राजस्व अभिलेख में कुएं पर आने–जाने के रास्ते का अलग से कोई नम्बर कायम किया हुआ नहीं है। जिस पर आपसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

सहमति से हुए बटवारे की नकल प्राप्त की गई तो सभी विसंगतिया ध्यान में आई। जिनका वर्णन अपील का कॉलम संख्या 4 में किया गया है। इन विसंगतियों का निराकरण नहीं किये जाने पर अपीलार्थीगण के मध्य विवाद का अंदेशा बना रहेगा। भूमि का स्वतन्त्र रूप से उपयोग–उपभोग करने में भविष्य में बाधाएं उत्पन्न रहेगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर दिनांक 30.01.2013 मे आपसी सहमति से हुए विभाजन में कॉलम संख्या 4 में दर्शित त्रुटियों को दुरूस्त करा संशोधन करवाना फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि चूंकि अपीलार्थीगणों द्वारा किया गया विभाजन आपसी सहमति के आधार पर था जो विभाजन हुआ है इनके द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र के आधार पर ही हुआ है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के विभाजन की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 में खातेदारान के मध्य किये गये बटवाड़े से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है। अपील में सभी खातेदार बतौर अपीलाण्ट अपील पेश की है। अपील के अनुसार पूर्व में बटवारे में आने–जाने के रास्ते नहीं छोड़े गये है इससे असुविधा हो रही है एवं पुनः सहमति से बटवांडा विधिवत रूप से करवाना चाहते हैं।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को के दृष्टिगत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार वल्लभनगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के शामलात खातेदारी आराजीयों प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 की पूर्व की थी। यदि अभी से तत्समय विभाजन के अनुसार इन अपीलगत के नाम खातेदारी दर्ज हो तो वर्ष 2013 में किये गये आपसी विभाजन कार्यवाही को निरस्त कर नये सिरे से सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारान की सहमति उनके खातेदारी में हक/हिस्से के अनुसार करने की कार्यवाही की जावे। यदि 2013 के पश्चात् वर्तमान में किसी आराजी का बेचान या अन्यत्र हस्तांतरण/अन्तरण किया जाना पाया जाये तो उसको इस विभाजन प्रकिया से पृथक रखा जाये।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तदानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested